02.04.2024:—पत्रावली आज वादी बनवारी लाल जरिये अधिवक्ता श्री मदनलाल गोदारा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारो के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। इसलिए वादी अब इस दावा को नही चलाना चाहती। वादपत्र को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उकत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर करवाये गयें। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री मदनलाल गोदारा [illegible] कि गई। पक्षकारान का राजीनामा हो जाने [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का [illegible] सूरत मे खा[illegible] किया जाता है। पत्रावली नम्बर से [illegible] की जाकर बाद [illegible]तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.06 17:09:42 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy Not Official